

पञ्चावली नियत दिनांक 27/02/24 से पूर्व/बाद में
न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में सुनवाई हेतु पारित
आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक 06/02/24
को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

195/2017

06/02/24

पञ्चावली पेश हुई। वकील वदि उप. नही
वकील वदी को रूक-रुक कर 5.30 PM तक
आवाज भगवाई गई वकील वदी या उन्का कोई
तत्पनिधि उप. नही।

अतः वदी के बाद को अदम पैरवी अरम
हाजरी में खारिज किया जाता है पञ्चावली केवल
शुमार लेकर पञ्चावली नम्बर ले रम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)